न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)

दावा सं.:– 16/2015

उनवान :– गोपाल बनाम रमेश व अन्य

1. गोपाल लाल शर्मा पुत्र स्व. भूरामल
   जाति ब्राहम्ण निवासी जयसिंह नगर, जयसिंहपुरा खोर दिल्ली रोड जयपुर।

–वादी

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र स्व. भूरामल उर्फ भूरा (दौराने वाद मृतक)

1/1. प्रेमदेवी बेवा स्व. रमेशचन्द

1/2. भवानी शंकर पुत्र स्व. रमेशचन्द

1/3. सत्यप्रकाश पुत्र स्व. रमेशचन्द

1/4. ममता देवी पुत्री स्व. रमेशचन्द

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी खादी भण्डार के सामने, सरकारी स्कूल के पीछे चन्दवाजी तहसील–आमेर जिला जयपुर।

2. भालासहाय शर्मा पुत्र स्व. भूरामल
   जाति ब्राहम्ण निवासी ए–1, लक्ष्मण डूंगरी, मंगलम स्कूल के पास, बास बंदनपुरा आमेर जयपुर

3. मोंहनलाल पुत्र स्व. भूरामल
   जाति ब्राहम्ण निवासी ए–30 ओम कॉलोनी जयसिंहपुरा खोर तहसील आमेर जयपुर।

4. सम्पत्ति देवी पुत्री स्व. भूरामल
   जाति ब्राहम्ण निवासी सैकण्डरी स्कूल छापडा खुर्द के पास तहसील शाहपुरा जयपुर।

5. बाबूलाल पुत्र स्व. भूरामल
   जाति ब्राहम्ण निवासी– 37, भैरू कॉलोनी, जयसिंहपुरा खोर दिल्लीरोड जयपुर।

6. ओमप्रकाश पुत्र स्व. भूरामल (दौराने वाद मृतक)

6/1. प्रेम देवी पत्नि स्व. ओमप्रकाश

6/2. मुकेश पुत्र स्व. ओमप्रकाश

6/3. प्रमोद पुत्र स्व. ओमप्रकाश

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी 30–ए ओम कॉलोनी, जारा मशीन के पीछे, नूतन स्कूल की गली जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर जिला जयपुर।

7. बजरंगलाल पुत्र स्व. भूरामल

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:44:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

जाति ब्राहम्ण निवासी तिवाडीयो की ढाणी देव का हरमाडा पोस्ट लखेर वाया चंदवाजी तहसील आमेर जिला जयपुर।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. उप–पंजीयक महोदय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

वाद बाबत् घोषणा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 30.08.19

वादी द्वारा ग्राम देवकाहरवाडा, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि **आ.ख.नं. 287, 289, 290, 420, 421/1424, 423, 424 कुल खसरा किता–7 कुल रकबा 1.47 है.** जो कि वाद अधीन भूमि है, के सन्दर्भ में वाद बाबत घोषणा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उक्त वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 7 के पिता भूरामल उर्फ भूरा व चाचा नारायण बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार थे। जिनकी मृत्यु के पश्चात वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा लगान सरकार को अदा करते आ रहे है। उक्त वर्णित भूमि में वादी के पिता भूरामल व चाचा नारायण के नाम दर्ज व अंकित हिस्सा में वादी व प्रतिवादी नंबर 1 लगायात 7 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा हक व अधिकार निहीत है। जिसके अनुसार अपने 1/8 हिस्से हेतु वादी स्वयं को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित कराने की घोषणा कराने का हक व अधिकार रखता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को अपने पिता व चाचा की विरासती फोती नामान्तरण दर्ज करवाने को कहा तो प्रतिवादीगंण पहले तो टालमटोल करते रहें परन्तु अभी हाल में ही में एक स्वर फोती नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु स्पष्ट रूप से इन्कारी हो गये। इस कारण वादी को अपने खातेदारी अधिकारी घोषणा हेतु वाद बाबत घोषणा कर तकासमा करने बाबत उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादी के चाचा नारायण पुत्र श्री देवीसहाय नाओलाद ही फौत हो गये थे, जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के अलावा अन्य कोई भी विधिक कानूनी वारिस व उत्तराधिकारी नही है। इस कारण वादी को अपने चाचा नारायण पुत्र श्री देवीसहाय के हिस्से की घोषणा भी पक्षकारान के पक्ष में घोषित करवाते हुये स्वयं के पृथक हिस्से की घोषणा करवाने बाबत यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 अपने पिता व चाचा की मृत्यु के बाद हिस्से की भूमि पर बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज काश्त संयुक्त रूप से चले आ रहे है। प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजियात बिना विधिक तकास्मा कराये उक्त भूमि को बेच कर बेचान पर भी उतारू है तथा आये दिन वादी को हेरान व परेशान करते रहते है तथा विरासती नामान्तरण तस्दीक ना करवाकर अवेध रूप से वादी की कमजोरी का फायदा उठाकर उसके कानूनी हक व अधिकारों से महरूम करने पर आमादा है, इसलिए दावा घोषणा व तकास्मा पेश करना आवश्यक हुआ। वादग्रस्त आराजीयात पर वादी अपने पिता व चाचा नारायण की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Lakhara
Date: 2021.01.28 14:44:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर जयपुर

साथ संयुक्त रूप से विभाजीत हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा अपने हक हिस्से की जमीन की घोषण तकासमा कराने का कानुन अधिकार रखता है, फिर भी दिनांक 10.06.2015 प्रतिवादीगण ने वादी को विरासती फोती नामान्तरण दर्ज करवाने तथा उसके हिस्से की जमीन नही देने व कब्जा हटाकर दीगर व्यक्तियों को बेचान करने की धमकी दी। इसके कारण वादी को वादकारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को मद्धे नजर रखते हुए उपरोक्त प्रतिवादीगण को वॉछित निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर वादी को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि उपरोक्त वर्णित विवादित भूमि कुल खसरा किता–7 कुल रकबा–1.47 है., वादी को 1/8 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 प्रत्येक को 1/8–1/8 हिस्से को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरस्ती कि जावें तथा पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाकर को 1/8 हिस्से की भूमि को वादी की पृथक खातेदारी में दर्ज की जाकर राजस्व लगान एवं पृथक नक्शा किया जावें एवं प्रतिवादीगण को को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वें वादी को 1/8 हिस्से अथवा उसके किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से विक्रय–हस्तान्तरण आदि ना करें तथा वाद अधीन भूमि में वादी के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी हस्तक्षेप बाधा रूकावट मदाखलत मजाहमत इत्यादि ना करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये है–

(1) प्रमाणित प्रतिलिपि हाल जमाबन्दी सम्वत 2069–2072

(2) प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षैत्रफल किता–5

(3) प्रमाणित प्रतिलिपि खतोनी बन्दोबस्त विभाग सम्वत 2008–2027 किता–10

(4) साक्ष्य शपथ पत्र वादी गोपाल पुत्र स्व. भूरामल, गायत्रीदेवी पत्नि गोपाल, अचिन्ह पुत्र प्रेम कुमार के पेश किये है।

वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को उपस्थित होकर जवाब वादपत्र हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण को दिनांक 30.06.2015 को साधारण नोटिस, दिनांक 18.12.2015 को रजिस्टर्ड नोटिस, दिनांक 19.12.2016 को रजिस्टर्ड नोटिस तथा दिनांक 15.01.2019 का भी पुनः रजिस्टर्ड नोटिस पेश किये गये। निरंतर नोटिस [illegible] किये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण के उपस्थिति नही होने पर [illegible] अन्तर्गत प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा जवाब वादपत्र अथवा किसी प्रकार का कोई तथ्य खण्डन के रूप में पेश नहीं किया गया। जिसके उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही के अन्तर्गत वादी साक्ष्य ली जाकर पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई। बहस अन्तिम से पूर्व तहसीलदार आमेर से मृतक नारायण पुत्र देवीसहाय के वारीसान के सन्दर्भ में रिपोर्ट भी ली गई। जिसके कम में तहसीलदार आमेर द्वारा मृतक नारायण पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:44:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर

देवीसहाय का ना ओलाद फोत होना अंकित किया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस सुनी, तथ्यो पर मनन किया व पत्रावली का गोर पूर्वक अवलोकन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादी का वाद मात्र वादी व वादी की पत्नि के बयान से तथा एक मात्र ऐसे स्वतंत्र गवाह के बयान से साबित नही हो सकता जो कि वादी के हाल निवास का पडोसी हो तथा जिसका विवादित भूमि के ग्राम से कोई संबंध भी नहीं हो। इनके अतिरिक्त वादी द्वारा अपने सजरा खानदान के सन्दर्भ में कोई मान्य/अधिकृत दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया गया है तथा अपने पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है। साथ ही वादी द्वारा स्वयं की पहचान के सन्दर्भ में जो दस्तावेजी साक्ष्य (आधार साक्ष्य) प्रस्तुत किये है उनमें भी वादी की वल्दियत के सन्दर्भ में भिन्नता है। अतः ऐसी स्थिति में सक्षम/समर्थ साक्ष्य के अभाव में वाद वादी पोषणीय नही होने से वाद वादी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रैक आमेर मु, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:44:03 IST
Reason: SelfAttested